


11-91 16-11


 श्रीधरदास हिंवरत
 राज्य द्वारा एडीपीओ
 अधिकारी

फरियादी रवि स्वयं उपस्थित ।

उभयपक्षों से मध्यस्थता के संबंध में पूछे जाने पर उनके द्वारा प्रशिक्षित मध्यस्थ श्री पंकज शर्मा, जे०एम०एफ०सी० गोहद का चुनाव किया है।

उभयपक्ष मध्यस्थता हेतु मय अधिवक्तागण के प्रशिक्षित मध्यस्थ के समक्ष आज दिनांक 15.11.16 को दिन में 03:00 बजे स्वतः उप0 रहें।

(A. K. Gupta)

Judicial Magistrate First Class

Gohad distt. Bhind (M.P.)

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
<p>15/11/16</p>	<p>पुनश्च:</p> <p>उभयपक्ष पूर्ववत्।</p> <p>मध्यस्थता न्यायालय से मध्यस्थता कार्यवाही सफल होने की सूचना प्राप्त।</p> <p>फरियादी की ओर से एक राजीनामा आवेदन पत्र, अतर्गत धारा 320 द0प्र0स0 राजीनामा हेतु अनुमति बाबत् मय राजीनामा हेतु अनुमति आवेदन पत्र अतर्गत धारा 320-2 फरियादी के हस्ताक्षर, छायाचित्र सहित प्रस्तुत किया गया। फरियादी की पहचान अधिवक्ता श्री बी0एस0 यादव एव अभियुक्त की पहचान उसके अधिवक्ता श्री एम0एस0 यादव द्वारा की गई।</p> <p>उभयपक्षों को सुना प्रकरण का अवलोकन किया।</p> <p>फरियादी ने अभियुक्त से राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोभ-लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है। फरियादी का राजीनामा कथन उसके निवेदन पर अंकित कराया गया।</p> <p>अभियुक्तगण पर भा0द0वि0 की धारा 294, 325, 506 भाग-2 के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है जिसमे से धारा 294, 506 बी न्यायालय की अनुमति से शमनीय है जबकि शेष स्वयं फरियादी द्वारा शमनीय है। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये राजीनामा अनुमति आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।</p> <p>अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को धारा 294, 325 एवं 506 भाग-2 भा0द0वि0 के अपराध आरोपों से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अभियुक्त की दोषमुक्ति होगा। अभियुक्त के प्रतिभूति व बधपत्र भारमुक्त किए जाते हैं।</p> <p>प्रकरण में जप्त शुदा मूल्यहीन होने से अपील अवधि बाद नष्ट की जावे।</p> <p>आगामी नियत दिनांक निरस्त की जाती है।</p> <p>प्रकरण का परिणाम सुसंगत अभिलेख में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार में प्रेषित हो।</p>	<p>2 मिनट 15 सेकेंड्स</p> <p>गुडेंटिफाई</p> <p>मि. महेन्द्र</p> <p>गुडेंटिफाई</p> <p>मि. महेन्द्र</p>

(A.K. Gupta)

Judicial Magistrate First Class

Gahad distt Bhind (M.P.)